कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक:— 1159 / 105 काम—मु0वृत / 17—18 दिनांक 08-03-18

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषय:— **ग्राम लदावली कॉठ रोड तहसील कॉठ जिला मुरादाबाद के खसरा नम्बर—242 में रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भ:— अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 1000 / एन0ओ0सी0 दिनांक 07.03.2018।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित स्थल **ग्राम लदावली कॉठ रोड तहसील कॉठ जिला मुरादाबाद के खसरा नम्बर—242 में रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 स्थापित** करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के सन्दर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न:— 1—मानचित्र दो प्रतियों में।
2—एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3—अधिशासी अभियन्ता के संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(ए0पी0 सिंह) 8.3.18
अधीक्षण अभियन्ता
08/3/18

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 07.03.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत,लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

10/04/2018

SITI ENERGY LIMITED
MORADABAD

D:\OMPRAKASH\COM\105 COM.doc

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 964 / 46काम - मु0क्षे0/18 दिनांक- 9-3-2018

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषय : ग्राम लदावली कांठ रोड तहसील कांठ जिला मुरादाबाद के खसरा नम्बर-242 में रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 1159/105काम-मु0वृत/17-18 दिनांक 08.03.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तो के तारतम्य में **ग्राम लदावली कांठ** रोड तहसील कांठ जिला **मुरादाबाद के खसरा नम्बर-242 में रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0** स्थापित करने हेतु Siti Energy Limited को निम्न शर्तो के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून (मुरादाबाद कांठ) मार्ग (एस0एस0-49) के कि0मी0 14.00 चैनेज 13.600 के बायी ओर है।
6. प्रस्तावित निर्माण पूर्व से निर्मित बाउन्ड्री के अन्दर बनाया जाना प्रस्तावित है।
7. रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 की सर्विस रोड के लिये 03 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौडाई 12.00 मी0 है।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 25.86 मी0, पम्प 52.00 एवं भवन निर्माण 60.00 मी0 दूरी पर मानचित्र में प्रदर्शित है।
    - क- आवेदक को रिटेल आउटलेट पम्प सी0एन0जी0 लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 05 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
    - ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
    - ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहियें एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
    - घ सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी

SITI ENERGY LIMITED MORADABAD

की दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

12 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 12-2009 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

13 बफर स्ट्रिप के पम्प हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।

14 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 30.00 मी0 की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।

15 प्रस्तावित स्थल के ऊपर 300 मी0 दोनों ओर कोई रोड कोसिंग नहीं होनी चाहिये।

16 यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

17 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद** से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

18 भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

19 लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।

20 उक्त के अतिरिक्त शा0सं0-RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाइसेन्स के रूप में एवं 5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) जमा करने हेतु Siti Energy Limited के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

संलग्नः- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, मु0बाद का पत्र सं0-1159/105काम मु0वृत/17-18 दि0 08.03.18 के पत्र की छाया प्रति।

(हस्ताक्षर अपठनीय)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-1159/105काम-मु0वृत/17-18 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/03/18
मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

10/04/2018

SITI ENERGY LIMITED
MORADABAD

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

पत्रांक :- 246/पा० / दिनांक :- 23/01/18

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

विषय : ग्राम लंदावली कांठ रोड तहसील कांठ जिला मुरादाबाद के खसरा नम्बर–242 में रिटेल आउटलेट सी०एन०जी० स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– जिलाधिकारी मुरादाबाद का पत्रांक–298/आबकारी दिनांक 14.07.2017 एवं मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो०नि०वि० मुरादाबाद का पत्रांक–4813/46एम–मु०क्षे०/17 दिनांक 18.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में स्थल की जॉच सहायक अभियन्ता–प्रथम द्वारा करायी गयी। जॉचोपरान्त प्रस्तावित स्थल मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद कांठ) मार्ग (एस०एच०–49) के कि०मी०–14.00 चैनेज–13.552 में स्थित है। प्रस्तावित स्थल के सामने मार्ग की स्थाई भूमि अभिलेखों के अनुसार 36.00 मीटर है, जो मार्ग के मध्य से 18.00 मीटर, 18.00 मीटर दोनों ओर है। रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट नियमावली–1964 के नियम–7(2) में निहित व्यवस्था के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 25.86 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति चाही गयी है। अतः अनुमति हेतु संस्तुति निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रकरण प्रेषित है :–

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नही किया गया है।
3. आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड़ साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट–1945 की धारा–13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद कांठ) मार्ग (एस०एच०–49) के कि०मी०–14.00 चैनेज–13.600 के बायीं ओर है।
6. प्रस्तावित निर्माण पूर्व से निर्मित बाउन्ड्री के अन्दर बनाया जाना प्रस्तावित है।
7. रिटेल आउटलेट सी०एन०जी० की सर्विस रोड के लिये 03 कि०मी० की दूरी तक सर्विस वेरियर नही है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00 मीटर लम्बाई एवं 3.00 मीटर चौड़ाई तक रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 12.00 मीटर है।
9. प्रस्तावित रिटेल अउटलेट सी०एन०जी० का निर्माण आई०आर०सी० कोड सं०–12–2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 25.86 मीटर पम्प 52.00 मीटर एवं भवन निर्माण 60.00 मीटर की दूरी पर मानचित्र में प्रदर्शित है।

क– आवेदक को रिटेल आउटलेट पम्प सी०एन०जी० लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 05 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेंट निर्धारित प्रपत्र (एनक्चर–3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेंट की फीस बैंक ड्राफ्ट रू० 2.00 लाख बैंक ड्राफ्ट संख्या–983759 दिनांक 08.01.2018 व रू० 10000.00 (दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या–983760 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा जमा की जा चुकी है। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेंट फार्म संलग्न है।

ख– आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा, कि रिटेल आउटलेट सी०एन०जी० पम्प लगाने से पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

पृष्ठ.....2

S:\Amzad\Amzad Letter.doc

Satish Chandra Kumar
14/04/2018

SITI ENERGY LIMITED
MORADABAD

ग– आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा, कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 का पानी मार्ग पर नही आना चाहिए एवं नाली को बन्द नही किया जायेगा।

घ– सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मीटर नीचा रखा जायेगा।

21. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइट नाली में 1.00 मीटर चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाये, ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नही किया जायेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा, कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

22. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0–12–2009 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

23. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।

24. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 30.00 मीटर की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नही होना चाहिए।

25. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 300 मीटर दोनो ओर कोई रोड क्रोसिंग नही होनी चाहिए।

26. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

27. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सी0एन0जी0 पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद से लाइसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

28. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

29. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नही दिया जायेगा। भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक :–आर0डब्लू0/एन0एच0–33023–19/99–डी0ओ0 तृतीय दिनॉक 31–08–2000, दिनॉक 25–09–2003 एवं दिनॉक 17–10–2003 मे दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना होगा।

<u>संलग्न :– मानचित्र 02 प्रतियों में एवं पूर्ण प्रकरण मूल में।</u>

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता–प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके पत्रांक–281/एन0ओ0सी0 दिनांक 22.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

1060

SITI ENERGY LIMITED
MORADABAD